

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया ।

विषय :-

जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 18 से 19 (चैनेज सं0-18.620) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-166 ग्राम-सिरसिया पट्टी हुसैन तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी/एप्रोच/51457/2020)

सन्दर्भ :-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 179/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/51457/2020 दिनांक 20.07.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्र संख्या-364/2-6 दिनांक 02.08.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 18 से 19 (चैनेज सं0-18.620) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-166 ग्राम-सिरसिया पट्टी हुसैन तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 5 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-1 में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने के कारण वन विभाग द्वारा एच-2 केस जारी किया गया है। जिसके कम में मु0 40,000.00 प्रतिकर की धनराशि जमा किया गया है। बिन्दु संख्या-2 उक्त एच-2 केस के निस्तारण में जमा की गयी धनराशि की ई-3 रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

बिन्दु संख्या-3 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का स्थल गाटा सं0-166 ग्राम-सिरसिया पट्टी हुसैन तहसील व जिला-देवरिया है जो देवरिया-कसया मार्ग पर कि0मी0 18 से 19 के मध्य स्थित है।

बिन्दु संख्या-4 उक्त पेट्रोल पम्प पर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग में अधिनियम का उल्लंघन माना गया है जिसका वन विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिकर जमा कर दिया गया है।

अतः सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्वीकृति दिलाने की कृपा करें।

भवदीय

संकल्प

टैरीटरी मैनेजर

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर, देवरिया ।

संकल्प

प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
गोरखपुर टैरीटरी
पो0-बैतालपुर, देवरिया (उ0प्र0)

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध

आ० वन अधिनियम 1927 का धारा 33 का उल्लंघन

~~वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन~~

रिपोर्ट नं० दिनांक 14/12/2022 रेंज देवरिया वीट तरकुलवा

रेंज केस नम्बर 37/2022-23 20 20

- अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता
अमर प्रताप मल 5/0 योगेश मल
ग्राम गोषवा पार पो० गढ़ीना थाना बरहवा जिले देवरिया
- गवाह का नाम, आत्मज तथा पता
① हरिकेश गौड़ व० र०
② दैनिक कामिक सुधीर गौड़ान
- कथित अपराध का पूरा विवरण
देवरिया कसया मार्ग K.M. 18-19 के मध्य दायाँ पट्टी के मध्य ग्राम सिरौलिया पट्टी हुसैन वसन्तपुर हुसी पो० व थाना तरकुलवा जिले देवरिया में सड़क पट्टी की भूमि $35 \times 22.86 = 800.1$ वर्ग मीटर संरक्षित भूमि को बिना अनुमति के गैर वानिकी प्रयोग किया जाना।
- अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

द्याप्रति प्रमाणित

कुल हानि का मूल्यांकन

राजकीय सम्पत्ति

L.A.P.S. N 26° 36' 42"

E 83° 53' 43"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवरिया रेंज

- बराबत की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

- चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ
महोदय आज दिनांक 14/12/2022 को समय लगभग 5: P.M. पर प्राप्त शिकायत के अनुसार देवरिया कसया मार्ग K.M. 18-19 के मध्य दायाँ पट्टी पर ग्राम सिरौलिया पट्टी हुसैन वसन्तपुर हुसी पो० व थाना तरकुलवा जिले देवरिया में सड़क पट्टी की भूमि $35 \times 22.86 = 800.1$ वर्ग मीटर संरक्षित वन भूमि को बिना अनुमति के गैर वानिकी प्रयोग किया जाना पाया गया। यह तथ्य पर पता चलने की मातेश्वरी फ्लिंग स्टेशन के मालिक अमर प्रताप मल 5/0 योगेश मल के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

अतः रिपोर्ट सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हरिकेश गौड़
हनु प्रेषितकेस काटने वाले का हस्ताक्षर
पद व० र०

दिनांक- 20

श्री गुरुदेव का वंदन॥

11

७८५५

रेन्ज

20

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज, देवरिया

रेंज, देवरिया
देवीम पन्नाधिकारी देवरिया की

नं। वनस्त्रात के आवाज पर कर
रु०- ५००००/- चम्पल (बिहार) प्रखण्ड
कर, सुशान्त कुमार, प्रभागीय निदेशक
वनस्त्रात के आवाज पर । देवरिया ॥
१५ प्रभागाध्यक्ष नवाग्रिकारी

दिनांक..... 20

अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट
 सं. - 37/2022-23 को जॉय रिपोर्ट
 सत्य पाई गयी। अतिरिक्त इस केस में अतिरिक्त जॉय रिपोर्ट में बता दी गई वस्तु
 सिगरेट्स 2400 इंच वलनपुरा थूको पाठ. यान्तिकी के वरिष्ठ के लक्ष्य पर 35
 2.86-800 की भी दोषित थी जो कि अनुमति के तहत अतिरिक्त
 1927 का डायन किया गया है अतिरिक्त से प्रतीक
 40,000 के तहत पाया है कि का बिना का फलन मानने का तैयार है
 यह भी 40000 प्रमाण प्राप्त है कि का बिना का फलन मानने का तैयार है
 2000 के तहत

सेवा के

रेन्ज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रत्यक्षमिति शब्द

R.C. No 37/2022,23

साधु राम प्रसाद

देवाय

महोदय, इस केस की अंतिम प्रति श्री २६ बिजौर वन दोषा से कम्पनी अभी वन दोषा के प्रति
 सिविल से सहमत व्यवह कर रहे हैं अभियुक्त से प्रतिर स्वरूप रु० ५०,०००/- (पचास हजार रुपये)
 प्राप्त है रु० ६३५०/२१५३/५३ दिनांक ०-६-२०२३ के जारी किया गया। अभियुक्त वन विभाग का अभी दोषा
 मान्य को दे रहा है। अतः वन दोषा के प्रति रिपोर्ट से सहमत व्यवह कर रहे हैं केस को प्रकटित करने की।
 अन्तिम निर्णय
 वनराज अधिकारी..... क्षेत्रीय वन अधिकारी..... के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह

बनराजि अधिकारी..... क्षेत्रीय वन अधिकारी..... के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह
 केस..... देवरिया के कम्पाउण्ड किया जाता है और बरामद लकड़ियों को मिलान करने की
 अनुमति दी जाती है शेष..... रूपया जिनकी लकड़ियाँ नहीं बरामद हुई हैं।
 उसकी श्री..... से वसूल करके केस ड्राप किया जाता है।

अपराध से सम्बन्धित सामान जो क्रम सं०..... पर अंकित है।

रीलीज जप्त किया जाता है। कम्पाउण्ड करने के पहले नाजायत जोत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तदनुसार सर्टिफिकेट रैन्ज अफसर दें।

सर हैं। दूसरी प्रणाली काट देती है एवं प्रकाश वना में देती है की
आंच संतुष्टि के आधार पर प्रकाश की मात्रा 40000/ - (या सी 1)
प्रकाश काट, प्रकाश की मात्रा काट व प्रभागीय निदेशक
देवगिरा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रभाग
देवरिया

दिनांक.....20

89

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

E-3 बुक नं० 12943

नं० 43

वन प्रभाग देवरिया

दिनांक 08-8-2023

श्री. डा. राजेश कुमार शर्मा, प्रमुख, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

रुपया 40,000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) प्राप्त किया।

बाबत में जे. के. स. संख्या 34/2022-23 का प्रतिक भी संलग्न है।

दिनांक 08-8-2023

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम अधिकारी
देवरिया रेंज

छाया प्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवरिया रेंज

छाया प्रति प्रमाणित

R. J. Teer
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेश
सामाजिक वानिक्य प्रभाग
देवरिया